<u>केंद्रीय विद्यालय में नामांकन के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज |</u>

• **जन्म प्रमाण पत्र** (सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी, जिसमें बच्चे का नाम, माता पिता का नाम अंग्रेजी और हिंदी में शुद्ध लिखा हो)
• **निवास प्रमाण पत्र** (सरकारी कर्मचारी, सरकारी आवास आवंटन का आदेश पत्र और आवास ग्रहण करने का प्रमाण पत्र लगा सकते हैं	) अगर आप रेंट पर रह रहे हैं तो किरायानामा की एक प्रति तथा मकान मालिक का आधार	
• **जाति प्रमाण पत्र** (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए तथा सवर्ण के लिए अगर ई.डब्ल्यू.एस. का लाभ लेना हो तो जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जमा करना होगा)
• अगर आप **ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर** / ई.डब्ल्यू.एस. के अंतर्गत आवेदन करते हैं तो **आय प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र** अथवा/ **ई.डब्ल्यू.एस. का प्रमाण पत्र** सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी **(6 महीने के अंदर का)** जमा करना होगा	
• **बी.पी.एल.** का लाभ लेने के लिए बच्चे के माता अथवा पिता के नाम पर अद्यतन बी.पी.एल. कार्ड होना चाहिए	सिर्फ पहले दो बच्चे को ही बी.पी.एल. का लाभ मिलेगा	बी.पी.एल. कार्ड में परिवार के सभी सदस्य का नाम और फोटो लगा होना चाहिए	इस साल भी आप बी.पी.एल. सूची में हैं इस आशय का एक प्रमाण पत्र ब्लॉक ऑफिस से बनता है वो आपके पास होना चाहिए	बी.पी.एल. सूची में आपका नाम कितने नंबर पर है, कितना यूनिट का लाभ आपको मिलता है, ये मुखिया या वार्ड पार्षद से सत्यापित होना चाहिए	
• **सरकारी कर्मचारी के लिए सेवा प्रमाण पत्र** सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए	इसमें कर्मचारी का नाम, कaर्मचारी कोड, संस्था का नाम, वर्तमान में कहाँ पदस्थापित हैं, पूरा पता, पदनाम (जिस पर कार्यरत हैं), कब से कार्यरत हैं, 1 अप्रैल 2026 को आपका मूल वेतन क्या है, अब तक कितने ट्रांसफर हुए हैं का सम्पूर्ण विवरण इसमें होना चाहिए	ये सब डिटेल्स सक्षम पदाधिकारी के नाम, पदनाम, हस्ताक्षर और कार्यालय के सील/मोहर के साथ प्रस्तुत करने हैं	
• अगर माता-पिता सरकारी कर्मचारी हैं और इस केंद्रीय विद्यालय के क्षेत्र के बाहर पदस्थापित हैं तो उन्हें इस आशय का एक प्रमाण पत्र भी देना होगा कि जहाँ वो पदस्थापित हैं वहाँ उनको आवास की सुविधा नहीं मिली है और उनका बच्चा घर पर ही रहकर पढ़ेगा	
• आधार कार्ड की छाया प्रति
• ब्लड ग्रुप की छाया प्रति
• एक पासपोर्ट साइज़ का फोटो
• **आवेदन करते समय आपके पास उपरोक्त सभी आवश्यक कागजात होने चाहिए |**
• <u>**आर.टी.ई. श्रेणी में नामांकन के लिए आपका आवास विद्यालय से 5 किलोमीटर के अंदर होना आवश्यक है अन्यथा इस श्रेणी में आपका नामांकन नहीं होगा**</u>

<u>सेवा श्रेणी भरते समय इसका ध्यान रखें –</u>

सेवा श्रेणी एक – केंद्रीय कर्मचारी के बच्चे (पोस्ट ऑफिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री, रेलवे में कार्यरत कर्मचारी के बच्चे) **सेवा श्रेणी दो** – केंद्रीय स्वायत्त संस्था में कार्यरत कर्मचारी के बच्चे **सेवा श्रेणी तीन** – राज्य सरकार के कर्मचारी के बच्चे **सेवा श्रेणी चार** – राज्य सरकार के स्वायत्त संस्था के कर्मचारी के बच्चे **(बिहार सरकार के नियोजित शिक्षक इस श्रेणी में आते हैं)** **सेवा श्रेणी पांच** – अन्य सभी	**<u>ओ.बी.सी. श्रेणी के बच्चे के लिए</u>** ऑनलाइन आवेदन करते समय आप ओ.बी.सी. क्रीमी लेयर (8 लाख से अधिक आय) या नॉन क्रीमी लेयर (8 लाख से कम आय) में आते हैं तो इसका ऑनलाइन आवेदन में उल्लेख अवश्य करें और इस आशय का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए।

<u>आपके द्वारा भरे गए फॉर्म में दी गयी जानकारी में विद्यालय स्तर से कोई संशोधन संभव नहीं है। अतः इसे बहुत सावधानी से भरें।</u>